FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0023 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/01/2026 18:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 19:47 बजे **Time To (समय तक):** 15:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/01/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/01/2026 18:59:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 436 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PANJIYAN KARYALAY GANGADHAR, JILA JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NEPAL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PARBAT SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TALAWALI, GANGADHAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TALAWALI, GANGADHAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH KUMAR MEENA		पिता:BRAJLAL MEENA	1. KHOHARA POST INAYATI,SAPOTARA,KARAULI, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2025 को श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो चौकी, कोटा के मोबाईल पर परिवादी श्री नेपाल सिंह पुत्र श्री परबत सिंह उम्र-37 वर्ष जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड ने अपने मोबाईल से कॉल कर बताया कि, मैं ग्राम तलावली तहसील गंगधार, जिला झालावाड का रहने वाला हॅू। मै पेशे से वकिल हूँ, मै चौमहला न्यायालय परिसर में, तहसील कार्यालय गंगधार व उपखण्ड कार्यालय गंगधार में वकालत के अतिरिक्त रजिस्ट्री, मकान पट्टा विक्रय पत्र, आराजी इत्यादी का कार्य करता हूं। कार्यालय पंजीयन गंगधार में राकेश मीणा पंजीयन बाबू एलडीसी हैं, जिसके पास मैं रजिस्ट्री, मकान पट्टा, विक्रय पत्र, आराजी का पंजीयन करवाने जाते है, तो वह कमीशन के रूप में रिश्वत की डिमाण्ड करता है। मेरे द्वारा उदयसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी मेलकी व प्रहलाद मेघवाल पुत्र रामचन्द्र निवासी रावन गुराडी के पटटे का आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिसकी मूल प्रति प्राप्त करने के एवज में एलडीसी राकेश मीणा 2000 रूपये प्रति एक का एक हजार रूपये की डिमाण्ड कर रहा है। मै राकेश मीणा एलडीसी को जायज काम के रूपये नहीं देना चाहता हॅू रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। इस पर परिवादी को एसीबी कार्यालय आने की कहा परन्तु परिवादी ने दूरी अधिक होने के कारण आने में असर्मथता व्यक्त की जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित स्थान पर रहने एवं गोपनीयता की हिदायत कर सुबह जल्दी टीम भिजवा कर सत्यापन करवाने हेतु कहा। मामला रिश्वत मांग का होने से शिकायत का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से श्री योगेश कानि0 291 को बुलाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर श्री योगेश कानि0 291 को सुपुर्द किया तथा श्री योगेश कानि. को हिदायत की गई कि कल प्रातः 6.00 ए.एम पर रवाना होकर चौमहला पहुंचे तथा परिवादी श्री नेपाल सिंह से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त करे तत्पश्चात गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर परिवादी को आरोपी के पास भेजें। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड की फर्द सुपुर्दगी पृथक सें मुर्तिब की गई। दिनांक 03.11.2025 समय 3.48 पी.एम पर श्री योगेश कानि0 291 ने जर्ये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कोटा से प्रातः 6.00 ए.एम. पर रवाना होकर समय 10.00 ए.एम. पर चौमहला पहुंचा था, यंहा पर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की प्रक्रीया समझा कर गोपनीय सत्यापन हेतु मोटर साईकिल से पंजीयन कार्यालय गंगधार रवाना किया तथा उसके पीछे-पीछे दूसरी मोटर साईकिल से मै भी पंजीयन कार्यालय गंगधार के बाहर पहुंचा, परिवादी सत्यापन हेतु पंजीयन कार्यालय के अन्दर गया तथा कुछ समय बाद मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द हालात में पेश कर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक के कमरा नम्बर नौ में गया था, जंहा पर मैने राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक से मकान के पट्टो के संबंध में बात की तो उसने प्रत्येक पट्टे के एक-एक हजार रूपये के हिसाब से दो हजार रूपये कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डेड वार्ता को एकान्त में सुना तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टी होना पाया गया, इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हमराह साथ लाने को कहा तो परिवादी ने दूरी अधिक होने व रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की कह कर आने में असमर्थता जाहिर की, तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूखसत कराया व श्री योगेश कानि0 291 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लेकर एसीबी चौकी कोटा आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 5.30 पी.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 द्वारा व परिवादी नेपाल सिंह द्वारा बताए हालात के अनुसार आगामी दिवस को ट्रैप कार्यवाही सम्भावित होने से श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाने हेतु रवाना किया गया, जो दो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री उस्मान मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी मकान न0 60 शिव नगर पुलिस लाईन कोटा हाल नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्हाडी) जिला कोटा एवं श्री लखनपाल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति बैरवा उम्र 36 साल निवासी वीएचएल 158 विवेकानन्द नगर कोटा हाल नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्हाडी) जिला कोटा को दिनांक 04.11.2025 को 08.00 ए.एम पर कार्यालय एसीबी कोटा उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर मय तहरीरी रिपोर्ट के कार्यालय हाजा उपस्थित हुआ। तहरीरी रिपोर्ट को शामिल फाईल किया। समय 09.30 पी.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 कार्यालय हाजा उपस्थित

आया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मै कोटा से रवाना होकर गंगधार पहुंचा। जहां पर चौमहला रेल्वे स्टेशन के पास पहुंच कर मैने परिवादी नेपाल सिंह को कॉल किया जो कुछ समय बाद मेरे पास आया जिसने रिश्वत मांग के संबंध में एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज के पेश किया। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके पश्चात परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवा कर संदिग्ध आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मोटर साईकिल से पंजीयन कार्यालय रवाना किया तथा मैं भी परिवादी नेपाल सिंह के पीछे-पीछे मोटर साईकिल से पंजीयन कार्यालय गंगधार के सामने पहुंचा तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उपस्थिति रहा। परिवादी पंजीयन कार्यालय की बाउंडरी के अन्दर मोटर साईकिल खडी कर पंजीयन कार्यालय में अन्दर चला गया। मै पंजीयन कार्यालय के बाहर परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मुकिम रहा। थोडी देर बाद परिवादी, पंजीयन कार्यालय से निकल कर मेरे पास आया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड बंद हालत में सुपुर्द किया जिसको मैने अपने पास रखा, पूछने पर परिवादी ने बताया कि आपके कहे अनुसार में मोटर साईकिल पर रवाना होकर पंजीयन कार्यालय गंगधार गया था, जहां आरेापी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक कमरा नम्बर नौ मे मौजूद मिला, मैने राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक से मेरे द्वारा पेश पट्टो के संबंध में बात की तो उसने प्रत्येक पट्टे के एक-एक हजार रूपये के हिसाब से दो हजार रूपये कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की मांग की है। इस पर मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉडेड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताए गए सत्यापन हालात की पुष्टी हुई। जिसके हालात मैने आपको जर्ये मोबाईल बता दिए थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जो इस आशय का है "कि मैं ग्राम तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड का रहने वाला हॅू। मै पेशे से वकिल हॅू, मै चौमहला न्यायालय परिसर में, तहसील कार्यालय गंगधार व उपखण्ड कार्यालय गंगधार में रजिस्ट्री, मकान पट्टा विक्रय पत्र, आराजी इत्यादी का कार्य करता हूं। कार्यालय पंजीयन गंगधार में राकेश मीणा पंजीयन बाबू एलडीसी है। जो हम लोग जब भी रजिस्ट्री/पट्टा पंजीयन करवाने जाते है। तो वह हमसे कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की डिमाण्ड करता है। मेरे द्वारा उदयसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी मेलकी व प्रहलाद मेघवाल पुत्र रामचन्द्र निवासी रावन गुराडी के पटटे का आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिसकी मूल प्रति प्राप्त करने के एवज में एलडीसी राकेश मीणा 2000 रूपये प्रति एक का एक हजार रूपये की डिमाण्ड कर रहा है। मै राकेश मीणा एलडीसी को मेरे जायज काम के रूपये नहीं देना चाहता हॅू रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं" तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डेड वार्ता को सुना गया तो कानिस्टेबल द्वारा कहे गए कथनो की ताईद हुई है। आरोपी द्वारा दिनांक 04.11.2025 को रिश्वत राशि की मांग की गई है, जिसमें अग्रिम कार्यवाही के सबंध में मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये मोबाईल अवगत करवाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा में सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द प्राप्ति पृथक सें मुर्तिब की गई। दिनांक 04.11.2025 समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से तलवीदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन, नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी जिला कोटा एवं श्री लखनपाल, नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी जिला कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आए, समय 08.30 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने परिवादी श्री नेपाल सिंह पुत्र श्री परबत सिंह उम्र-37 वर्ष जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड द्वारा दिनांक 03.11.2025 को पेश श्री योगेश कानि. को चौमहला में पेश शिकायती प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, रनिंग नोट व अन्य दस्तावेजात मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर कार्यालय हाजा में उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन, नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी जिला कोटा एवं श्री लखनपाल, नर्सिंग अधिकारी जिला चिकित्सालय कुन्हाडी जिला कोटा से परिचय करवाया गया तथा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी चौमहला में ही मिलेगा। मन उप अधीक्षक द्वारा गवाहान से परिचय प्राप्त कर कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई तथा परिवादी के हस्त लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में दिनांक 03.11.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वतन्त्र गवाहों को पढ कर सुनाया गया तथा प्रकरण में गवाह रहने की अनुमति चाहे जाने पर सहमती दी गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से मालखाने से फिनोल्फ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन वं श्री लखनपाल मय श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय प्राइवेट वाहन के गंगधार जिला झालावाड रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री योगेश कानि 291 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के गंगधार जिला झालावाड के लिए रवाना होकर समय 01.00 पी.एम पर परिवादी के बताये अनुसार चौमहला रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री नेपाल सिंह मय मोटर साईकिल के

उपस्थित मिला। उपस्थित परिवादी से मन् उप अधीक्षक ने आपसी परिचय कर जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान से भी आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी से उसके द्वारा प्रार्थनापत्र में लिखित तथ्यो व रिश्वत मांग के संबध में रिकोर्डेड वार्ताओ के संबंध में पूछताछ कर पुष्टि की, तत्पश्चात परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर स्वतन्त्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नेपाल सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी-तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड ने आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक, पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 4 नोट कुल 2,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4EE942897 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5CW767270 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1VQ352924 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3HN452321 श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोंल्फथिलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री नेपाल सिंह की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री लखनपाल बैरवा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे श्री गौरव नागर, कनिष्ठ सहायक से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथों एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री नेपाल सिंह को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक को मौके से कार्यालय एसीबी चौकी कोटा रवाना होने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री नेपाल सिहं को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि देने हेतु मय श्री योगेश कानि 291 व श्री नरेन्द्र हैड कानि 140 को परिवादी की मोटर साईकिल से साथ में निगरानी हेतु पंजीयन कार्यालय गंगधार के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर पंजीयन कार्यालय गंगधार के पास पहुंचे जंहा पर परिवादी ने श्री नरेन्द्र सिंह एवं योगेश को पंजीयन कार्यालय के बाहर ही उतारा तथा परिवादी कार्यालय के अन्दर चला गया मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों की उपस्थिति छुपाते हुए पंजीयन कार्यालय के बाहर मुकिम रहे। समय 02.48 पी.एम.पर परिवादी नेपाल सिंह बिना कोई ईशारा किये पंजीयन कार्यालय से बाहर आया तथा योगेश कानि. के पास आकर रिकार्डर बन्द किया तथा बताया कि मुझे कार्यालय में राकेश मीणा मिल गया था उससे मैने पट्टों के लिए कहा तो उसने कुछ समय बाद उदयसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी मेलकी व प्रहलाद मेघवाल पुत्र रामचन्द्र निवासी रावन गुराडी के पटटे निकालकर दिये इसके बाद मैं उसको दो हजार रू. देने लगा तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया तथा कहा कि आज नहीं लूंगा, मैने उसको कहा कि पार्टी मुझे आपको देने के लिए देकर गई हैं तब उसने कहा कि आज मेरे वंहा से वो आया हुआ हैं कि नहीं करना हैं तथा मैने लेने के लिए कहा तो कहा कि नहीं लूंगा आज साहब ने मना किया हैं इसके बाद वंहा उपस्थित सचिन पटवारी ने कहा कि अपने ही आदमी हैं कर दो कर दो यार इनका काम तो यार तथा इसके बाद मैने उनको साईड में चलने के लिए कहा तो राकेश ने कहा कि अभी मुझे काम करने दो शाम को मिलते हैं, इसलिए मै वंहा से रवाना होकर बाहर आ गया अब उसके पास थोडी देर बाद जाऊंगा। परिवादी से रिकार्डर प्राप्त कर उसको सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई, परिवादी ने पंजीयन कार्यालय में थोडी देर बाद जाने के लिए कहा हैं अतः परिवादी से रिश्वती राशि निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर स्वतंत्र गवाह मोईनुद्दीन के पास रखवाये गये तथा परिवादी को उसके पंजीयन

कार्यालय के पास ही स्थित उसके कार्यस्थल एस.डी.एम. कोर्ट गंगधार के लिए रवाना किया। समय 04.30 पी.एम.पर परिवादी श्री नेपाल सिंह का योगेश कानि. के मोबाईल पर कॉल आया तथा बताया कि पंजीयन कार्यालय से तहसीलदार जी निकल गये हैं तथा पंजीयन कार्यालय में भीड भी कम हो गई अब मैं राकेश के पास फिर से चला जाऊंगा, इस पर परिवादी को रेल्वे स्टेशन चौमहला आने की हिदायत की गई, जिस पर परिवादी नेपाल सिंह, रेल्वे स्टेशन चौमहला आया, जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा स्वतंत्र गवाह मोईनुद्दीन के पास रखी हुई राशि को लिफाफे में से निकलवाकर परिवादी की पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को रिकार्डर चालु करवाकर आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि देने हेतु मय श्री योगेश कानि 291 को परिवादी की मोटर साईकिल से साथ में निगरानी हेतु पंजीयन कार्यालय गंगधार के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों से पीछे-पीछे रवाना होकर पंजीयन कार्यालय गंगधार के पास पहुंचे जंहा पर परिवादी ने श्री योगेश कानि. को पंजीयन कार्यालय के बाहर ही उतारा तथा परिवादी कार्यालय के अन्दर चला गया मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों की उपस्थिति छुपाते हुए पंजीयन कार्यालय के बाहर मुकिम रहे। समय 05.12 पी.एम. पर परिवादी नेपाल सिंह बिना कोई ईशारा किये पंजीयन कार्यालय से बाहर आया तथा गोपनियता की दृष्टी से अपनी मोटर साईकिल से गंगधार कस्बे की तरफ गया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहन के पंजीयन कार्यालय के बाहर से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये। परिवादी गंगधार नदी की पुलिया के पास रूका तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मन उप अधीक्षक पुलिस को दिया तथा बताया कि मुझे कार्यालय में राकेश मीणा मिल गया था उसने पहले तो मुझसें कई देर तक बात नहीं कि जब उन्होने मेरी तरफ देखा तो मैने कार्यालय के संबंध में बातचीत छेडी तो उसने कहा कि वकील साहब आपका कोई काम हैं की जा रहे हो तब मैने अपनी पेंट की जेब की तरफ ईशारा करके कहा कि ये ही काम था और कोई काम नहीं ये उठ जायेंगें फिर आप हमे बोलोगे इस पर राकेश ने कहा कि एक बार बोल दिया, तब मैने कहा कि कल ही तो बोल रहे थे आप इसलिए हमने पार्टी सें ले लिये थे, इस पर उसने कहा कि आपके पास रह जायेंगे उससे अच्छा क्या हैं। इसके बाद मैं पंजीयन कार्यालय से बाहर आ गया। राकेश मीणा को किसी तरह की कोई शंका हो गई हैं इसलिए उसने दिन में भी कहा था कि साहब ने आज पैसे लेने से मना कर दिया हैं, राकेश मीणा अब मुझसें रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा।
परिवादी से प्राप्त रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई, प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं, अतः परिवादी से रिश्वती राशि निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर स्वतंत्र गवाह मोईनुद्दीन के पास रखवाये गये और मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायद कर मौके से रूखसत किया गया तथा श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन वं श्री लखनपाल तथा श्री रवि कुमार कानि0 285 को प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री योगेश गोचर कानि0 291, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि 2000 रूपये का लिफाफा के सरकारी बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के गंगधार जिला झालावाड से एसीबी चौकी कोटा रवाना होकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री लखनपाल बैरवा से रिश्वत राशि का पीला लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड व अन्य सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। आईन्दा परिवादी द्वारा सूचना देने पर अग्रिम कार्यवाही की जानी हैं अतः दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायद देकर कार्यालय से सुकशल रूखसत किया गया। दिनांक 21.11.2025 समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री नेपाल सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा को संबोधित एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि “मैं ने दिनांक 03.11.2025 को कार्यालय पंजीयन गंगधार में कार्यरत राकेश मीणा पंजीयन बाबू एलडीसी द्वारा रजिस्ट्री, मकान पट्टा, विक्रय पत्र, आराजी आदि का पंजीयन करवाने पर कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को संबोधित पेश किया था, प्रार्थना पत्र के क्रम में आरोपी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें एलडीसी राकेश मीणा द्वारा 2000 रूपये की (प्रति एक का एक हजार रूपये की डिमाण्ड की थी तत्पश्चात दिनांक 04.11.2025 को कार्यवाही के क्रम में मैने श्री अनीष अहमद जी डीवाईएसपी को आरोपी राकेश मीणा को रिश्वत में देने के लिए 2000 रूपये की राशि पेश की थी, जिन पर फिनॉफथ्लीन पाउडर लगवाने के पश्चात मैं आरोपी के पास गया था, किन्तु आरोपी राकेश मीणा को उसके उच्च अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से कार्यवाही की भनक लग गई, जिसके कारण उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। दिनांक 04.11.2025 के पश्चात मैने राकेश मीणा के पास रजिस्ट्री पट्टा आदि के दो-तीन कार्य करवा लिये किन्तु उसको जानकारी हो जाने के कारण उसने मुझसें रिश्वत की मांग नहीं की अतः अब आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि रिश्वत में दी जाने के लिए मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2025 को पेश की गई 2000 रूपये की राशि मुझे वापस लौटाते हुये मेरे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।” प्रार्थना पत्र में अंकित हैं कि आरोपी को शंका हो जाने के कारण आरोपी

अब परिवादी सें रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा अतः परिवादी को नियमानुसार रिश्वत मे देने के लिए पेश राशि 2000 रू. लौटाये जानी हैं तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी हैं, अतः प्रकरण में पूर्व में बुलाये गये गवाहान को जरिये मोबाईल कार्यालय में उपस्थित आने हेतु अवगत कराया गया जिस पर कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुन्हाडी, कोटा से स्वतंत्र गवाह श्री मोईनुद्दीन, नर्सिगं अधिकारी एवं श्री लखनपाल बैरवा, नर्सिंग अधिकारी कार्यालय हाजा उपस्थित आये, उपरोक्त गवाहान को परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि लौटाये जाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 12.15 पी.एम. पर मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि से मालखाने में रखे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता में प्रयोग में लिये गए पृथक-पृथक मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया, परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड के मध्य 03.11.2025 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड की होना पहचान कर बताया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम एवं द्वितीय जो परिवादी व आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड के मध्य 04.11.2025 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ताओ को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं मे से परिवादी ने प्रथम वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड तथा तीसरी आवाज सचिन पटवारी की होना पहचान कर बताया तथा दूसरी वार्ता में सें एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी राकेश मीणा की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट मन उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 03.11.2025 को परिवादी नेपाल सिंह व आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 251103_1504_01 एवं उक्त वार्ता के अलावा दिनांक 03.11.25 को 251103_1504 फाईल भी रिकार्ड हुई है, जो प्रथम मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं तथा दिनांक 04.11.2025 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम की फाईल 251104_1426 तथा दिनांक 04.11.2025 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय की फाईल 251104_1645 जो द्वितीय मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं। उक्त वार्ताओं की 4 फाईलों की हैष वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा श्री योगेश कानि0 291 के द्वारा उपरोक्त दोनों मैमोरी कार्ड से चारो रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव में लेकर पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय के दोनों मूल मेमोरी कार्ड उनके कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैलियों में रखा जाकर पृथक-पृथक सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट के◌ा मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया। समय 05.00 पी. एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लौटाये जाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में नेपाल सिंह द्वारा आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि पांच-पांच सौ रूपये के चार नोट कुल 2,000 रू. मालखाने सें निकलवाकर उन पर लगे हुए फिनोफ्थ्लीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करके नियमानुसार परिवादी श्री नेपाल सिंह पुत्र श्री परबत सिंह उम्र-37 वर्ष जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड को दिनांक 21.11.2025 को सुपुर्द किये गए। फर्द सुपुर्दगी पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात परिवादी श्री नेपाल सिंह को मय लौटाई गई राशि 2000 रूपये के तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोईनुद्दीन एवं श्री लखनपाल, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी नेपाल सिंह ने दिनांक 03.11.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया

था कि-कार्यालय पंजीयन गंगधार में राकेश मीणा पंजीयन बाबू एलडीसी हैं, जिसके पास मैं रजिस्ट्री, मकान पट्टा, विक्रय पत्र, आराजी का पंजीयन करवाने जाता हूं, तो वह कमीशन के रूप में रिश्वत की डिमाण्ड करता है। मेरे द्वारा उदयसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी मेलकी व प्रहलाद मेघवाल पुत्र रामचन्द्र निवासी रावन गुराडी के पटटे का आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिसकी मूल प्रति प्राप्त करने के एवज में एलडीसी राकेश मीणा 2000 रूपये (प्रति एक का एक हजार रूपये) की डिमाण्ड कर रहा है। मै राकेश मीणा एलडीसी को जायज काम के रूपये नहीं देना चाहता हॅू रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। प्रार्थना पत्र के क्रम में सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन में परिवादी से आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ संहायक पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड द्वारा एक-एक हजार रूपये के हिसाब से दो पट्टो के 2,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है। दिनांक 04.11.2025 को आरोपी द्वारा की गई रिश्वत मांग के क्रम में परिवादी नेपाल सिंह रिश्वत राशि 2000/-रूपये आरोपी को देने गया तो आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक ने परिवादी से रिश्वत राशि लेने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि आज मुझे साहब (तहसीलदार) ने पैसे लेने से मना कर दिया हैं मैं आपसें कोई रूपये नहीं लूंगा तत्पश्चात वंहा उपस्थित पटवारी श्री सचिन द्वारा यह कहने पर कि अपने ही आदमी हैं यार इनसे बात कर लो तब आरोपी राकेश मीणा ने शाम को मिलने के लिए कहा, उक्त वार्ता के क्रम में परिवादी को पुनः शाम को मय रिश्वती राशि के आरोपी राकेश मीणा के पास भेजा तो आरोपी राकेश मीणा ने पुनः परिवादी को कहा कि आज साहब ने किसी से भी पैसे लेने से मना कर दिया हैं मैं आपसे कोई रूपये नहीं लूंगा। परिवादी ने कहा कि पार्टी ने दिये हैं तो आरोपी ने कहा कि आप ही रख लो मैं नहीं लूंगा। अतः आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं किये जाने सें ट्रेप की कार्यवाही नहीं हो पाई, तत्पश्चात दिनांक 21.11.2025 को परिवादी नेपाल सिंह ने इस कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र में यह अंकित करते हुये पेश कि- दिनांक 04.11.2025 के पश्चात मैने राकेश मीणा के पास रजिस्ट्री पट्टा आदि के दो-तीन कार्य करवा लिये किन्तु उसको जानकारी हो जाने के कारण उसने मुझसें रिश्वत की मांग नहीं की अतः अब आरोपी राकेश मीणा कनिष्ठ सहायक मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि रिश्वत में दी जाने के लिए मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2025 को पेश की गई 2000 रूपये की राशि मुझे वापस लौटाते हुये मेरे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।" पंजीयन कार्यालय गंगधार जिला झालावाड में श्री उदय सिंह पुत्र बाबुलाल एवं प्रहलाद मेघवाल के पट्टे बनाने के आवेदन परिवादी श्री नेपाल सिंह द्वारा पेश किये गये तथा दिनांक 03.11.2025 को आरोपी राकेश मीणा, कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी द्वारा पेश आवेदन के क्रम में पट्टे बनाने की एवज में प्रत्येक पट्टे के एक हजार, दो पट्टों के दो हजार रू. रिश्वत राशि की आरोपी राकेश मीणा द्वारा मांग की है, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध हैं। अतः आरोपी श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री बृजलाल मीना निवासी- ग्राम खोहरा, पोस्ट ईनायती, तहसील सपोटरा जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, मंत्रालयिक संवर्ग, राजस्व विभाग हाल पदस्थापन पंजीयन कार्यालय, कार्यालय तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें पेश है। (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बृजलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी- खोहरा पोस्ट ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक- कार्यालय उप पंजीयक तहसील गंगधार जिला झालावाड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 498 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 129-32 दिनांक 29.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- जिला कलक्टर, झालावाड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DR PRERNA SHEKHAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/01/2026 19:01:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)